1

न्यायालय में, श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

कैम्प रीवा, म0प्र0

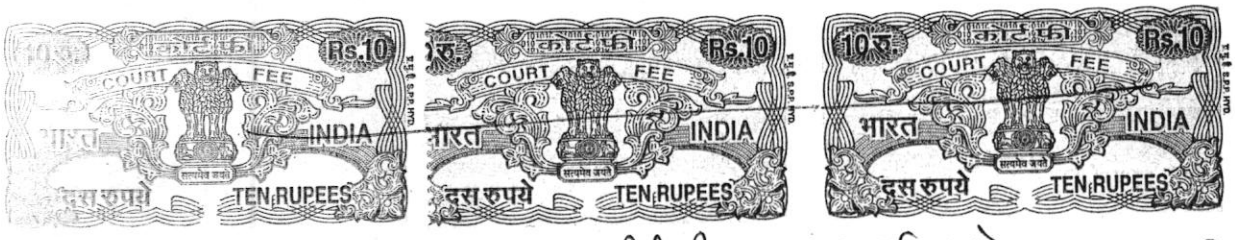

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

Rs 30/-

पंचू बैगा पिता [illegible] — निगरानी कर्ता
- जिला-शहडोल (म.प्र.)

M-535/III/16

विरुद्ध

अधिवक्ता श्री सज्जाद खाँ द्वारा प्रस्तुत 29.7.16

कमलेश कुमारी गुप्ता [illegible] — गैर निगराकार
- तह सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.)

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 35 नियम 3 ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ । म.प्र. राजस्व संहिता-1

मान्यवर,

निगरानी कर्ता का निम्नलिखित निवेदन है कि :-

1. यह कि उपरोक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय के न्यायालय में दिनांक 12.2.2016 को सुनवाई हेतु नियत थी, जो उसी दिन को अदम पैरवी में खारिज हो गया है ।

2. यह कि प्रार्थी/ निगराकार शहडोल से न्यायालय में आता है और अधिवक्ता भी शहडोल से पैरवी करने आते है । जिसमें मैं निगराकार गंभीर रूप से पीलिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण न्यायालय में - उपस्थित नहीं हो सका, और न ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बना सका। इस कारण उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया ।

3. यह कि उक्त प्रकरण में अनावेदक तलबी भी नहीं हुआ था और उक्त प्रकरण पुन: स्थापित नहीं किया गया है तो निगराकार को अपूर्तिनीय क्षति होगी निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर प्रकरण में अनुपस्थित नहीं

पंचू बैगा

विविध - 5351-II/16 जिला - शहडोल

2/8/18	प्रकरण क्रमांक निग. 1702/बी/15 में आदेश दिनांक 12/2/16 को आवेदक के अधि. प्रस्तुत न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था। आवेदक द्वारा बताया गया है कि वह उक्त दिनांक को बीमार हो गया था। इसलिए पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। अतः वह अधि. के भरोसे रहा लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये। अतः यह प्रकरण रेस्टोर किया जाता है। मूल प्रकरण पुनः नं. पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

[कृ. प. उ.